तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नंबर व तारी अहकाम जो इस की तामील में ज
4/6/18	वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रार्थना पत्र संबंधित मूल वाद का निस्तारण हो चुका है अब इस प्रार्थना पत्र के कोई कार्यवाही किया जाना उचित नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा खारीज किया जाता है पत्रावली फेयल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। (जगदीश प्रसाद गौड़)	